राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 436/2011/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, वृत्त 'के' जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट्स,
15–16, प्रताप नगर कॉलोनी, खातीपुरा रोड,
झोटवाड़ा, जयपुर ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थितः

श्री एन. के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी विभाग की ओर से
अनुपस्थित ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.02.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 131/अपील्स–चतुर्थ/2010–11/के में पारित आदेश दिनांक 28.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त 'के', जयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 58, 59 एवं 55 के तहत कायम की गई मांग राशि रू. 42,250/– में से धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 5,518/– एवं धारा 59 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 5,000/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 21.12.2009 को वैट–10 प्रस्तुत किये जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'शून्य' बिक्री घोषित की गयी थी। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली ने पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् पाया कि दिनांक 24.12.2009 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पहुँचकर जांच की गई थी जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर मैसर्स पवन जोधपुर मिष्ठान भण्डार का नाम अंकित है तथा इसी नाम से बिल जारी करके कर वसूल किया जा रहा था। जिसका पंजीयन दिनांक 01.08.2006 से प्रभावी है। पंजीयन के समय प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक किरायानामा प्रस्तुत किया जिसमें श्री नारायण सिंह राजपुरोहित (किरायेदार) एवं व्यवसाय स्थल मालिक श्रीमती प्रवीण कंवर के मध्य प्लॉट नम्बर 15–16, प्रताप नगर कॉलोनी, खातीपुरा रोड़ के लिए रूपये 12,500/– का किराया प्रति माह तय किया गया था जिसमें श्री नारायण सिंह राजपुरोहित ने

लगातार.....2

फर्म का नाम पवन जोधपुर मिष्ठान भण्डार रखने की घोषणा की है तथा मिठाई एवं नमकीन का निर्माण कर विक्रय करना दर्शाया है। वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि न्यू जोधपुर स्वीट्स के नाम से पंजीकृत फर्म तथा पवन जोधपुर मिष्ठान भण्डार नामक फर्म एक ही है तथा वर्ष 2007–08 में प्रतिदिन की बिक्री 2,000/– रूपये है। उक्त तथ्यों के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–के, जयपुर द्वारा प्रकरण सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया जिस पर सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक दिनांक 22.03.2010 के लिये दिनांक 02.03.2010 को नोटिस जारी किया जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बार–बार स्थगन लिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने दिनांक 31.03.2010 को रिवाईज्ड रिटर्न पेश की लेकिन लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने चारों तिमाही व वैट–10–ए के द्वारा वर्ष 2007–08 की कुल बिक्री रूपये 6,60,822/– घोषित की जिसमें से रूपये 3,15,912/– करमुक्त बिक्री घोषित की तथा करयोग्य बिक्री रूपये 3,44,910/– घोषित की। प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा वैट–10 के साथ वैट–07 पेश नहीं किये गये जिस पर सशक्त अधिकारी ने आगत कर शून्य स्वीकार किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चारों तिमाही देरी से पेश करने के कारण सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 58 के तहत कर रूपये 13,795/– की 20 प्रतिशत शास्ति रूपये 2,759/– एवं वैट–10–ए देरी से पेश करने के कारण शास्ति अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 2,759/– कुल शास्ति रूपये 5,518/– आरोपित की। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर निर्धारित कर रूपये 13,796/– शास्ति अन्तर्गत धारा 61 के तहत रूपये 27,592/– शास्ति अन्तर्गत धारा 58 के तहत रूपये 5,518/– शास्ति अन्तर्गत धारा 59 के तहत (लेखा पुस्तको पेश न करने के कारण) रूपये 5,000/– तथा ब्याज रूपये 4,139/– निर्धारित करते हुए कुल मांग रूपये 56,045/– कायम की जिसमें से अग्रिम भुगतान रूपये 13,795/– कम किये जाकर वसूली योग्य राशि रूपये 42,250/– की मांग कायम की। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल मांग राशि में से धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 5,518/– एवं धारा 59 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 5,000/– को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई और रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की चारों की तिमाही के बिक्री प्रपत्र वैट–10 स.वा.क.अ. के कार्यालय में दिनांक 21.12.2009 को शुन्य बिक्री के प्रस्तुत किये है। शुन्य बिक्री के बिक्री प्रपत्रों की जांच के क्रम में दिनांक

लगातार.....3

21.12.2009 प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच की गई तो पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर पवन जोधपुर मिष्ठान भण्डार का नाम अंकित किये हुये था तथा इसी नाम से माल की बिक्री के बिल जारी किया, इसी जांच के आधार पर व्यवहारी द्वारा शून्य बिक्री के प्रपत्र पेश करने पर करापवंचन होने पर स.वा.क.अ. के द्वारा सशक्त अधिकारी को प्रेषित की गई। कर निर्धारण पत्रावली में उपलब्ध नोटिस मात्र अधिनियम की धारा 25, 61 एवं 55 में जारी किया है। इस नोटिस में अधिनियम की धारा 58 एवं 59 में शास्ति आरोपित करने हेतु कोई उल्लेख सशक्त अधिकारी द्वारा अंकित नहीं किया गया है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 व 59 के तहत आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर अपास्त की है।

फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष